

Website



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

निदेशालय के आदेश पृ० क० केसी/टीए/स्था०/प्रशा०1, II, III व फोर/एए2/2856 दिनांक 29.12.2014 द्वारा जारी किये गये स्थानांतरण आदेशों पर निदेशालय के पत्र यादी क्रमांक प्रशासन-1/एए3/केसी/टीए/स्था०/542 दिनांक 5.3.2015 द्वारा लगाई गई रोक तत्काल प्रभाव से हटाई जाती है तथा दिनांक 29.12.2014 को जारी किये गये आदेशों में निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाते हैं :-

क०	कर्मचारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती..	जहां कार्यरत है।	जहां लगाया जाता है	रिमार्क्स
1.	सरिता यादव, कटाई सिलाई अनुदेशिका।	रा०1111, रायपुररानी	रा०1111, पंचकूला	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 18 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।
2.	सुषमा कटाई एवं सिलाई अनुदेशिका।	रा०1111, पंचकूला	रा०1111, रायपुररानी	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 19 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।
3.	कुसुम लता, कटाई सिलाई अनुदेशिका	रा०1111, पेहवा	रा०1111, (महिला), अम्बाला शहर	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 22 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।
4.	सुनिता कटाई सिलाई अनुदेशिका	रा०1111, (महिला), अम्बाला शहर	रा०1111, पेहवा	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 23 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।
5.	महेन्द्र सिंह, कारपेन्टर	रा०1111, कैथल	रा०1111, निसिंग	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 50 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।
6.	महेन्द्र सिंह, शीटमैटल	रा०1111, पानीपत	रा०1111, यमुनानगर	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 54 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।
7.	कृष्ण कुमार, सेवादार-कम-चौकीदार	रा०1111, नारनौल	रा०1111, पहाड़ीपुर	निदेशालय के आदेश पृ० क० 2856 दिनांक 29.12.2014 में क्रमांक नं० 85 पर जारी किये गये स्थानांतरण आदेश रद्द किये जाते हैं।

दिनांक:-30.06.2015

S.K.GOYAL, IAS

महानिदेशक,

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक केसी/टीए/स्था०/प्रशा०1/एए5/1321 दिनांक 30-6-15

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निजी सचिव/आई.टी.एम.।
2. निजी सचिव/पी.एस.आई.टी.।
3. निजी सहायक/महानिदेशक।
4. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।
5. सभी संबंधित प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज, राजकीय आई.टी.आई.ज, हरियाणा राज्य में।
6. सभी संबंधित प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज (महिला), राजकीय आई.टी.आई (महिला) हरियाणा राज्य में।

सहायक निदेशक (प्रशासन-1)

कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।